



Neutral Citation No.2026:AHC-LKO:21472

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आदेश से प्रथम अपील सं. - 378 वर्ष 2018

लक्ष्मी कांत सोनी

..... अपीलार्थी (गण)

बनाम

भारत संघ द्वारा जी. एम. वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट, मुंबई

..... प्रत्युत्तरदाता (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता

: काज़ी मोह. अहमद

प्रत्युत्तरदाता (गण) के अधिवक्ता

: महेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रत्यूष चौबे

न्यायालय सं. -20

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री काज़ी मोह. अहमद और प्रत्युत्तरदाता-रेलवे के विद्वान् अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार मिश्रा को सुना।

2. प्रस्तुत अपील के माध्यम से, अपीलार्थी ने रेल दावा अधिकरण, लखनऊ पीठ, लखनऊ द्वारा, दावाकर्ताओं द्वारा दाखिल वाद सं. ओ.ए./II/यू/243/2010 और ओ.ए./II/यू/एम सी सी/2009/803, श्रीमती लक्ष्मीकांत (सोनी) एवं अन्य बनाम भारत संघ में पारित निर्णय और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आदेश दिनांक 01.02.2018 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को लगी चोटों (दोनों पैरों के कट जाने) के कारण प्रतिकर के भुगतान के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था।

3. यह निवेदित किया गया है कि 01/02.09.2009 को, अपीलार्थी एक वैध टिकट के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहा था, जिसमें बोरीवली से लखनऊ की यात्रा के दौरान, आधी रात को बोरीवली स्टेशन पर वह दुर्घटनावश अवध एक्सप्रेस से नीचे गिर गया था, और उसे गंभीर चोटें आई थीं, और उसे नगरपालिका चिकित्सालय, बोरीवली, मुंबई में भर्ती कराया गया था, इस चोट के कारण चिकित्सकों को उसके दोनों पैर काटने पड़े थे। चिकित्सालय से छुट्टी मिलने के बाद वह अपने घर गोंडा लौट आया था। गोंडा आने से पहले, वह एक अधिवक्ता से मिला था, और दावा याचिका दाखिल करने के लिए अपने दस्तावेज उसे सौंप दिए थे, किन्तु उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वाद दाखिल किया गया था या नहीं। इसके बाद, 19.04.2010 को अपीलार्थी ने रे.दा.अ. लखनऊ में एक दावा दाखिल किया था। जब अपीलार्थी को पश्चात्कर्ती वाद के बारे में पता चला था, जो पहले ही मुंबई में दाखिल किया जा चुका था, तो उसने तत्काल 04.11.2011 को उसके द्वारा दाखिल दावा याचिका पर बल न देने के लिए, एक आवेदन प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात्, विद्वान् अधिकरण, मुंबई ने अपने आदेश दिनांक 09.03.2016 के माध्यम से, ₹ 50,000/- का व्यय अधिरोपित करते हुए दावा आवेदन खारिज कर दिया था, और अग्रेतर, ए.डी.आर., लखनऊ को निदेश दिया था कि यदि अपीलार्थी लखनऊ पीठ के समक्ष दावा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आवेदन में सफल होता है, तो अधिरोपित व्यय, अधिनिर्णीत राशि में से काट लिया जाएगा, और यदि वह सफल नहीं होता है, तो उक्त राशि उससे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाए।

4. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विद्वान् अधिकरण द्वारा दिया गया निष्कर्ष पूर्णकः केवल अनुमानों पर आधारित है। वह अग्रेतर निवेदन करते हैं कि अपीलार्थी गंभीर रूप से बीमार था और वह दूसरे वाद सं. ओ ए/II/यू/803/2009, से अवगत नहीं थे ॥

5. वह अग्रेतर निवेदन करते हैं कि रे.दा.अ., मुंबई द्वारा पारित विशिष्ट आदेश के बाद भी, विद्वान् अधिकरण, लखनऊ ने मामले के गुणवगुण पर विचार किए बिना ही, बिना किसी तुक और कारण के, ठीक उसी आधार पर दावा खारिज कर दिया है। वह अग्रेतर निवेदन करते हैं कि दो मामले दाखिल करना न तो जान-बूझकर और न ही साशय्य थे ॥ विद्वान् अधिकरण, लखनऊ को, बिना किसी कारण के केवल उसी आधार पर दावा खारिज करने के स्थान पर, अपीलार्थी के दावे पर उसके गुणवगुण के आधार पर विचार करना चाहिए था।

6. अपने तर्क का समर्थन करने के लिए अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा **श्रीमती दुर्गा देवी बनाम भारत संघ (एफ ए एफ ओ सं, 498 वर्ष 2016)** के मामले में पारित एक निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया था, जिसमें इस न्यायालय ने

निम्नवत् निर्णीत किया था:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"अपीलार्थिनी के अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिकरण ने अपीलार्थिनी के दोनों मूल आवेदन को निरस्त करके स्पष्ट त्रुटि की है। वह अग्रतर निवेदन करते हैं कि पूर्ववर्ती मूल आवेदन दाखिल करने की जानकारी अपीलार्थिनी को नहीं थी क्योंकि वह एक अशिक्षित स्त्री है और इसलिए कई अधिवक्ताओं ने उससे संपर्क किया था और वचन दिया था कि वे उसे प्रतिकर दिलाने में सहायता करेंगे, किन्तु किसी ने भी अपीलार्थिनी को मूल आवेदन दाखिल करने के बारे में सूचित नहीं किया था। अधिवक्ता ने अग्रतर निवेदन किया है कि मृत्यु होने से प्रत्युत्तरदाता ने इन्कार नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि दोनों वाद दाखिल करना न तो जानबूझकर किया गया था और न ही साशय था। वह निवेदन करते हैं कि अधिकरण ने उपर्युक्त तथ्यों पर विचार नहीं किया है और आदेश दिनांक 23.12.2015 के माध्यम से दोनों मूल आवेदन निरस्त कर दिए थे, जो स्वतः अवैध है और संधारित नहीं किया जा सकता है।

रेलवे के विद्वान् अधिवक्ता ने अधिकरण द्वारा पारित आदेश को न्यायोचित ठहराते हुए निवेदन किया है कि पूर्ववर्ती मूल आवेदन दाखिल किए जाने के बारे में अपीलार्थिनी को उचित रीति से जानकारी थी और अधिकरण ने दोनों मूल आवेदन निरस्त करने में कोई अवैधता कारित नहीं की है।

हमने अधिकरण द्वारा पारित आदेश पर विचार किया है, और हम पाते हैं कि अपीलार्थिनी एक अशिक्षित स्त्री है, जिसे पूर्ववर्ती मूल आवेदन के दाखिल होने के बारे में जानकारी नहीं थी क्योंकि जिस अधिवक्ता को नियुक्त किया गया था, उसने उसे वाद दाखिल

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



होने के बारे में सूचित नहीं किया था। अधिकरण ने रेल दावा अधिकरण नियमावली, 1989 के नियम-44 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, दोनों मूल आवेदनों को यह पाते हुए निरस्त कर दिया था कि यह विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। किन्तु हम, अपीलार्थिनी के अधिवक्ता की इस बात में कुछ बल पाते हैं कि अपीलार्थिनी एक अशिक्षित स्त्री होने के कारण मूल आवेदन के दाखिल होने के बारे में नहीं जान सकती थी क्योंकि अधिवक्ता ने उसे इसके बारे में सूचित नहीं किया था और अधिकरण द्वारा तकनीकी आधार पर यह आदेश पारित किया गया है।

इसलिए, हम एफ ए एफ ओ अनुज्ञात करते हैं और अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2015 अपास्त करते हैं। यह मामला इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि अपीलार्थिनी द्वारा एक ही विषय पर दो मूल आवेदन दाखिल किए गए थे, गुणावगुण के आधार पर नए सिरे से विनिश्चित करने के लिए अधिकरण को प्रतिप्रेषित किया जाता है।"

7. इसके विपरीत, प्रत्युत्तरदाता रेल के अधिवक्ता श्री महेंद्र कुमार मिश्रा ने अपील का जोरदार विरोध किया है। वह निवेदन करते हैं कि अपीलार्थी प्रथम दावा याचिका की कार्यवाही के बारे में उचित रीति अवगत था, और विद्वान् अधिकरण से तथ्य छिपाते हुए दो पृथक् दावा याचिकाएं दाखिल करना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

8. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. निस्संदेह, अपीलार्थी ने दो दावा याचिकाएं दाखिल की थीं। किन्तु, प्रथम दावा याचिका में, अधिकरण, मुंबई ने ₹ 50,000/- का व्यय अधिरोपित करते हुए आवेदन खारिज कर दिया था और अधिकरण ने ए डी आर, लखनऊ को निदेश दिया था कि यदि अपीलार्थी लखनऊ पीठ के समक्ष दावा आवेदन में सफल होता है, तो अधिरोपित व्यय अधिनिर्णीत राशि से काट ली जाएगी और यदि वह सफल नहीं होता है, तो उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में उससे वसूला जाएगा। अधिकरण, मुंबई के इस स्पष्ट आदेश के बाद भी, अधिकरण, लखनऊ ने, गुणावगुण पर विचार किए बिना उसी आधार पर दावा खारिज कर दिया है।

10. उपर्युक्त तथ्यों और **श्रीमती दुर्गा देवी (उपर्युक्त)** के वाद में समन्वय पीठ द्वारा प्रतिपादित आधार की दृष्टि से, प्रस्तुत अपील **अनुज्ञात** की जाती है।

11. रेल दावा अधिकरण, लखनऊ पीठ, लखनऊ द्वारा वाद सं. ओ.ए./II/यू/243/2010 और ओ.ए./II/यी/एम सी सी/2009/803, श्रीमती लक्ष्मीकांत सुंदर लाल संस एवं अन्य बनाम भारत संघ में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 01.02.2018 अपास्त किया जाता है। यह मामला अधिकरण को, दावा याचिका पुनर्स्थापित करने और द्वितीय दावा याचिका, अर्थात् वाद सं. ओ.ए./II/यू/243/2010 पर विधि के अनुसार, उसके गुणावगुण पर नए सिरे से विनिश्चय करने के लिए, प्रतिप्रेषित किया जाता है। क्योंकि यह एक पुराना मामला है, इसलिए यह न्यायालय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अधिकरण से, इस मामले का शीघ्र, अधिमानतः छह सप्ताह की अवधि के भीतर, विनिश्चय करने का अनुरोध करता है।

12. तदनुसार, प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

मार्च 25, 2026

रेनू/

(न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”